पत्रांक-अ0प्र0 (मध्य)-एस0बी0डी0-08/2011-.....

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

प्रेषक,

जय किशोर,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक-

विषय :- **मानक निविदा अभिलेख (SBD) की कंडिका 3.3 एवं कंडिका 4.8 के अनुपालन हेतु निर्धारित प्रक्रिया ।**

महाशय,

मानक निविदा अभिलेख **(SBD)** की कंडिका 3.3 एवं कंडिका 4.8 में निम्न प्रावधान है:-

3.3 Bidders shall not be under a declaration of ineligibility for delay, failure or corrupt and fraudulent practices by any of the State Govt. or Central Govt. of Public Undertaking or any Autonomous Body.

4.8 Even though the bidders meet the qualifying criteria, they are subject to be disqualified if they have:-

(क) made misleading or false representations in the forms, statements and attachments submitted in proof of the qualification requirements; and/or

(ख) have record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the contract, inordinate delays in completion, litigation history, or financial failures etc; and/or

(ग) participated in the previous bidding for the same work and had quoted unreasonably high bid prices and could not furnish rational justification to the employer.

यदि संवेदक की निविदा अन्य सभी अर्हताओं पर योग्य हो तो भी इस कंडिका के प्रावधान के पूरा नहीं करने पर उनका तकनीकी बीड रद्द किया जा सकता है । ऐसा देखा जा रहा है कि संवेदकों द्वारा कार्य आवंटन प्राप्त कर निर्धारित लक्ष्य की प्रगति नहीं की जा रही है और कार्य के संपादन में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है । फिर भी बीड कैपीसीटी के आधार पर संवेदक को अन्य कार्य आवंटित हो जाता है और इससे योजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है ।

अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में **कंडिका 4.8 (ख)** के संबंध में निदेशानुसार निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. निविदा सूचना में यह कंडिका जोड़ा जायेगा कि संवेदक द्वारा एस.बी.डी. के सेक्शन-1 की कंडिका 4.8 के प्रावधान के अधीन योग्य होने का प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट से निर्गत शपथ-पत्र निविदा के साथ समर्पित किया जायेगा ।

2. वैसे संवेदक जिन्हें कार्य, पूर्व से आवंटित है, में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 80 प्रतिशत से कम की प्रगति की गयी है, को विभिन्न कार्य प्रमण्डलों से गुण-दोष के आधार पर Defaulter घोषित करने की अनुशंसा प्राप्त कर संबंधित मॉनिटरिंग अंचलों द्वारा समीक्षोपरांत विभागीय अनुमोदन प्राप्त कर Defaulter (अगली निविदा में भाग लेने से वंचित) घोषित करने संबंधी आदेश निबंधन के प्रभारी अभियंता प्रमुख के स्तर से निर्गत किया जायेगा । Defaulter घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें अगली निविदाओं में भाग लेने से Debar किया जायेगा ।

3. एस.बी.डी. की कंडिका 3.3 एवं कंडिका 4.8 के अन्य दो बिन्दुओं यथा उपरोक्त (क) एवं (ग) के संबंध में भी Defaulter (अगली निविदा में भाग लेने से वंचित) घोषित करने हेतु कार्रवाई उपरोक्त प्रक्रियानुसार की जायेगी ।

4. Defaulter (अगली निविदा में भाग लेने से वंचित) का आदेश निर्गत होने के उपरांत वैसे सभी संवेदकों को अगली निविदा में भाग लेने से रोक लागू रहेगा जब तक कि विभाग द्वारा पुनः उन्हें Defaulter सूची से विलोपित नहीं किया जाता ।

5. इस आदेश की प्रति वेबसाइट पर डाली जाय एवं सभी Defaulter संवेदकों की सूची सभी कार्य विभागों को भेजते हुये विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से डाली जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(जय किशोर)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 141/मह्य **पटना, दिनांक-** 25/11/2011

प्रतिलिपि- सभी अभियंता प्रमुख को सूचनार्थ/ प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग को नियमित रूप से वेबसाइट पर सूचना डालने के निदेश के साथ प्रेषित।

जय किशोर 25/11/11

(जय किशोर)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)